JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

" एक राष्ट्र, एक कर ": भारतीय संघवाद के सामने उभरती चुनौतियों की समीक्षा ।

मोनू[1]

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

डॉ० बी० प्रकाश[2]

शोध निर्देशक ,प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश :

GST (Goods and Services Tax) का लागू होना भारत की कर व्यवस्था और संघीय आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए जीएसटी का मूल उद्देश्य देश में अप्रत्यक्ष करों की विस्तृत व्यवस्था को समाप्त करके एक एकीकृत कर प्रणाली बनाना था। केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले कई अप्रत्यक्ष कर लगाए थे, जो असमानता, दोहराव और प्रशासनिक कठिनाई का कारण थे। जीएसटी ने इन परेशानियों को कम करने और एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने की कोशिश की। जीएसटी , हालांकि, सिर्फ कर सुधार नहीं है; इसने भारतीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों को भी बदल दिया है। जीएसटी परिषद राज्यों और केंद्रों को कर निर्णय लेने का एक साझा मंच देती है। इससे सहकारी संघवाद बढ़ा है। दूसरी ओर, राज्यों की स्वतंत्र कर लगाने की क्षमता में कमी, राजस्व पर निर्भरता, मुआवजे की समस्या तथा राज्यों की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका जैसे नए मुद्दे सामने आए हैं।

जीएसटी के संदर्भ में भारतीय संघवाद के बदलते रूप का विश्लेषण करना और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों के संतुलन का विश्लेषण करना इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जीएसटी के सकारात्मक प्रभावों, चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। यह अध्ययन बताने का प्रयास करता है कि जीएसटी की सफलता केवल एक समान कर व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती ; इसके अलावा प्रभावी समन्वय, वित्तीय स्वायत्तता, विश्वास और सहयोग भी आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द : भारतीय संघवाद, वस्तु एवं सेवा कर, सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, वित्तीय संघवाद, जीएसटी परिषद, राजस्व स्वायत्तता ।

1.प्रस्तावना :

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विभिन्न राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं। इस असमानता को देखते हुए, भारतीय संविधान ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संघवाद में संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन किया है। दोनों सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन देश की एकता, आर्थिक विकास और प्रशासनिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए उनके बीच सहयोग होना भी जरूरी है। वित्तीय संबंध भारत की संघीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि केंद्रीय और राज्य सरकारों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस, सड़क और बिजली जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को राजस्व स्रोतों की जरूरत होती है ।

विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लंबे समय तक चलाया है। राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर (VAT), प्रवेश कर, विलासिता कर और अन्य कर लगाती हैं, जबकि केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाती है। विभिन्न राज्यों में करों और नियमों की भिन्नता ने आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डाली है।जीएसटी लागू किया गया था ताकि ये समस्याएं दूर हो सकें। जीएसटी ने देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक संयुक्त प्रणाली में बदलने की कोशिश की। इससे राज्य और केंद्र सरकारों को निर्णय प्रक्रिया और कर प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिला। इसलिए जीएसटी को केवल आर्थिक सुधार के रूप में नहीं देखना चाहिए; यह केंद्र-राज्य संबंधों और वित्तीय समझौते में भी बदलाव का कारण बना है।

2. शोध समस्या :

जीएसटी भारत की कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसने देश में एक समान कर प्रणाली बनाने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर सहयोग को बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ कई संघीय चुनौतियाँ भी आई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हुई है, क्योंकि कई स्वतंत्र कर स्रोत समाप्त हो गए हैं। वित्तीय संघवाद का संतुलन राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में कमी और केंद्र पर बढ़ती निर्भरता से खराब हो गया है। जीएसटी परिषद में राज्यों की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया भी चर्चा का विषय रही है। राजस्व मुआवजा, कर निर्धारण और वित्तीय संसाधनों का वितरण भी राज्यों के सामने आए हैं। एक समान कर व्यवस्था का प्रभाव भी अलग-अलग दिखाई देता है क्योंकि विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थिति में असमानता है।

3.शोध के उद्देश्य :

- भारतीय संघीय व्यवस्था में जीएसटी की भूमिका का विश्लेषण करना ।
- जीएसटी के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में हुए बदलावो का विश्लेषण करना ।
- जीएसटी परिषद की प्रणाली और संरचना का अध्ययन करना ।
- जीएसटी के भारतीय संघवाद पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना
- जीएसटी की सहकारी सहयोग को मजबूत करने में भूमिका का आकलन करना।

4.शोध पद्धति :

इस शोध में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। मुख्य रूप से अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। जीएसटी से संबंधित अधिनियमों, सरकारी रिपोर्टों, वित्त आयोग की रिपोर्टों, पुस्तकों, शोध पत्रों और कई सरकारी और अकादमिक प्रकाशनों को इसमें शामिल किया गया है। जीएसटी के राजनीतिक, संवैधानिक और आर्थिक प्रभावों को समझने का भी प्रयास किया गया है। मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति के संतुलन, राजस्व वितरण और सहकारी संघवाद पर ध्यान दिया गया है।

5.भारतीय संघवाद और वित्तीय संबंधों की अवधारणा :

भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक रूप से शक्ति का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों को संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।

संघवाद की सफलता के लिए राजनीतिक शक्ति का विभाजन पर्याप्त नहीं है; धन का सही वितरण भी आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को वित्तीय संघवाद कहते हैं। वित्तीय संघवाद में विभिन्न सरकारों के बीच आर्थिक सहयोग, कर लगाने की शक्ति, राजस्व संग्रह, वित्तीय संसाधनों का वितरण शामिल हैं। भारत में राज्यों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और स्थानीय विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक जिम्मेदारियाँ हैं, जबकि केंद्र सरकार के पास आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर जैसे प्रमुख राजस्व स्रोत हैं।

इससे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण, अनुदान और कर बँटवारे जैसे उपाय किए गए हैं। जीएसटी ने इस संघीय वित्तीय प्रणाली में एक नया पहलू जोड़ा है। इससे केंद्र और राज्यों ने अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक समान निर्णय प्रणाली स्वीकार की है। इसलिए जीएसटी भारतीय वित्तीय व्यवस्था में बदलाव को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है।

6.वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ एवं विकास :

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। देश में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक व्यवस्थित और एकीकृत कर प्रणाली बनाने का लक्ष्य है। जीएसटी को आम तौर पर गंतव्य आधारित कर या गंतव्य-आधारित कर कहा जाता है, क्योंकि इसका राजस्व उस स्थान से संबंधित होता है जहाँ उत्पाद का अंतिम उपभोग किया जाता है। भारत में जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से जारी है। जीएसटी की भविष्यवाणी करने के लिए 2000 में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई। 2006-07 के केंद्रीय बजट में इसकी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद, कई समितियों, केंद्रों और राज्य सरकारों के बीच बहस जारी रही।

जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान को बदलना पड़ा। इसके लिए संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 246A, 269A और 279A को जोड़ा। अंततः 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू हो गया। इससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के कई अप्रत्यक्ष करों को एक साझा कर व्यवस्था में लाया गया।

भारत में जीएसटी की दोहरी संरचना अपनाई गई है।इस दोहरी व्यवस्था का लक्ष्य केंद्र और राज्यों दोनों को कर लगाने का अधिकार प्रदान करना है। इस प्रकार जीएसटी एक साझा कर प्रणाली होने के साथ-साथ भारतीय संघीय ढाँचे की विशेषताओं को भी बनाए रखता है

7.जीएसटी परिषद: सहकारी संघवाद का संस्थागत आधार :

जीएसटी परिषद भारतीय संघवाद में एक प्रमुख संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 279A में इसका उल्लेख है। जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चर्चा करना और साझा निर्णय प्रक्रिया बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री शामिल हैं।

8.जीएसटी परिषद के प्रमुख कार्य :

- जीएसटी दरो और कर छूट पर सुझाव देना ।
- जीएसटी लागू होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण करना ।
- केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले कर संघर्षों पर विचार करना ।
- कर प्रशासन को प्रभावी और सरल बनाने के सुझाव देना।

9.जीएसटी परिषद और सहकारी संघवाद :

जीएसटी परिषद को सहकारी समझौते का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसके माध्यम से राज्य और केंद्र सरकारें कर नीति पर एक साथ चर्चा करती हैं। राज्यों को इससे राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाने में भाग लेने का अवसर मिलता है। साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिषद की सिफारिशें और निर्णय प्रक्रिया भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को समाप्त नही करती।

10.भारतीय संघवाद पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव :

- जीएसटी ने एक समान कर व्यवस्था बनाकर देश में एकीकृत बाजार का निर्माण किया है। जीएसटी परिषद ने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाया है।
- जीएसटी ने राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच कर निर्णय लेने में आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया है।
- जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एक नियम में जोड़कर कर प्रणाली को सरल और व्यवस्थित बनाया है।
- जीएसटी ने कर संग्रह और भुगतान को डिजिटल बनाया है, जिससे प्रशासन पारदर्शी हो गया है।
- जीएसटी ने राज्यों को राष्ट्रीय कर नीति बनाने में भाग लेने का अवसर दिया है।
- जीएसटी ने कर संबंधी बाधाओं को कम करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया है।
- जीएसटी ने करों के दोहरे प्रभाव को कम करके उद्योगों और व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है।
- जीएसटी ने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजस्व संकलन और कर प्रशासन में बेहतर समन्वय बनाया है।
- जीएसटी ने देश भर में वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह करके अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।

- जीएसटी ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कर प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया है।

11. भारतीय संघवाद पर जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव :

- जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हुई है, क्योंकि कई स्वतंत्र कर स्रोत समाप्त हो गए हैं।
- जीएसटी से राज्यों को कर दरें निर्धारित करने का अधिकार सीमित हो गया है।
- वित्तीय संघवाद का संतुलन प्रभावित हुआ है, क्योंकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ी है।
- जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका से राज्यों की निर्णय प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर संदेह है।
- जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण कई राज्यों को वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
- विभिन्न राज्यों की आर्थिक हालत अलग-अलग होने के बावजूद एक ही कर व्यवस्था उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है।
- जीएसटी ने राज्यों की स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए स्वतंत्र कर कानून बनाने की क्षमता को सीमित कर दिया है।
- जीएसटी की कठोर नियमों और प्रक्रियाओं ने छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों पर अधिक दबाव डाला है।
- जीएसटी के अलग-अलग कर दरों और वस्तुओं के वर्गीकरण के कारण व्यापारी भ्रमित हैं।
- जीएसटी ने राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों और राजस्व वितरण में विवाद पैदा कर दिया है।
- जीएसटी व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं की आवश्यकता से ग्रामीण और तकनीकी रूप से कम विकसित क्षेत्रों के व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
- राज्यों की वित्तीय उपलब्धता और उनकी विकास आवश्यकताओं के बीच असंतुलन होने की संभावना बढ़ी है।

12. जीएसटी और प्रतिस्पर्धी संघवाद :

प्रतिस्पर्धी संघवाद का अर्थ है कि राज्यों के बीच निवेश, उद्योग, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास में दृढ़ प्रतिस्पर्धा है। जीएसटी ने देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बनाकर राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम किया है। इससे राज्य अब बुनियादी सुविधाओं, कुशल प्रशासन, औद्योगिक नीतियों, श्रम सुविधाओं और अन्य आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाकर निवेश आकर्षित कर सकते हैं। जीएसटी के अंतर्गत राज्यों की स्वतंत्र कर दरों को निर्धारित करने की शक्ति सीमित होने से कर संबंधी प्रतिस्पर्धी संघवाद कमजोर हो गया है। राज्य पहले निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करों में बदलाव कर सकते थे, लेकिन जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष कर दरें साझा निर्णय प्रक्रिया के अधीन आती हैं। जीएसटी के वर्तमान स्वरूप में प्रतिस्पर्धा दरों से हटकर प्रशासनिक दक्षता, निवेश सुविधाओं और आर्थिक विकास पर आधारित है।

13. जीएसटी के बाद भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप :

जीएसटी ने भारतीय संघवाद को कई तरीकों से प्रभावित किया है। इसने राज्यों और केंद्रों के बीच कर संबंधों को अधिक संतुलित बनाया है। केंद्रीय और राज्य सरकारें अब एक साझा कर व्यवस्था के तहत काम करती हैं, हालांकि पहले वे अलग-अलग कई अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण करती थीं। इससे भारतीय संघवाद में साझा निर्णय प्रक्रिया का महत्व बढ़ा है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में संवाद, परामर्श और सामूहिक निर्णय की भूमिका भी बढ़ी है, जो केवल करों की वसुली और वितरण तक सीमित नहीं है।

दूसरी ओर, जीएसटी ने राज्यों के स्वतंत्र कर स्रोतों को कम कर दिया है। इससे वित्तीय संघवाद में उसका महत्व बढ़ा है। राज्यों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और राजस्व आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। जीएसटी ने भारतीय संघवाद को अधिक समन्वयात्मक और सहयोगात्मक बनाया है, लेकिन इसके साथ वित्तीय केंद्रीकरण और राज्यों की स्वायत्तता के मुद्दे भी पैदा हुए हैं।

14. जीएसटी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव :

- राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए।
- जीएसटी परिषद में सभी राज्यों की समान भागीदारी होनी चाहिए और उनके हितों को उचित ध्यान देना चाहिए।
- केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए।
- राज्यों को जीएसटी राजस्व और वित्तीय सहायता समय पर दी जानी चाहिए।
- जीएसटी के नियमों और दरों को सरल और व्यवस्थित बनाना चाहिए।
- जीएसटी अनुपालन को छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के लिए आसान बनाना चाहिए।
- केंद्र और राज्यों के बीच कर विवादों को हल करने के लिए एक कारगर प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं और तकनीकी जागरूकता बढ़ाना चाहिए।
- विशेष वित्तीय सहायता आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को दी जानी चाहिए।
- जीएसटी परिषद की प्रणाली पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए।

निष्कर्ष :

जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था और संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इसने देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने और आर्थिक कार्यों को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीएसटी ने राज्यों और केंद्र सरकारों को एक साझा मंच दिया है, जहाँ वे कर संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। जीएसटी को सहकारी समझौते की एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। जीएसटी , हालांकि, सिर्फ अच्छा नहीं रहा है। यह लागू होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित हुई है, क्योंकि कई स्वतंत्र कर स्रोत समाप्त हो गए। भारतीय संघवाद ने राज्यों की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं, मुआवजे की समस्या और केंद्र पर बढ़ती वित्तीय निर्भरता से नई चुनौतियाँ सामने आई हैं। केंद्र-राज्य विवाद, कर व्यवस्था की जटिलताएँ और छोटे व्यापारियों की अनुपालन संबंधी समस्याएं भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बाधित कर सकते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि जीएसटी ने भारतीय संघवाद को अधिक समन्वयात्मक और सहयोगी बनाया है, लेकिन इसके साथ वित्तीय शक्ति का संतुलन भी महत्वपूर्ण हो गया है। संघीय व्यवस्थाओं की सफलता तभी संभव है जब राज्यों और केंद्रों को संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार और धन प्राप्त हो।

जीएसटी को सिर्फ कर सुधार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारतीय वित्तीय संघवाद में आए गंभीर बदलाव के रूप में देखना चाहिए। इसकी सफलता के लिए राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता का सम्मान करना और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देनी चाहिए। जीएसटी परिषद को भी बातचीत और सहयोग का मजबूत मंच बनाना चाहिए। अंततः, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा तभी सफल हो सकती है, जब इसके साथ समान अवसरों और संतुलित संघीय व्यवस्था की भावना भी हो। जीएसटी को देश के आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था का प्रभावी आधार बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, विश्वास, वित्तीय समानता तथा संवैधानिक संतुलन का होना जरूरी है

संदर्भ सूची :

- भारत सरकार (1950). भारत का संविधान. नई दिल्ली: विधायी विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय।
- भारत सरकार (2016). संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- भारत सरकार (2017). केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारत सरकार (2017). राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारत सरकार (2017). एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारत सरकार (2017). केंद्रशासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारत सरकार (2021). पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2021-26). नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारतीय रिजर्व बैंक (2022). राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन 2022-23. मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक।
- भारत सरकार (2022). वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- सक्सेना, रेखा (2012). संघवाद की स्थिति: भारत और कनाडा में अंतर-सरकारी संबंधों की व्यवस्था. नई दिल्ली: मनोहर प्रकाशन।
- राव, एम. गोविंदा एवं सिंह, निर्विकार (2005). भारत में संघवाद का राजनीतिक अर्थशास्त्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- ह्यूगलिन, थॉमस ओ. एवं फेना, एलन (2015). तुलनात्मक संघवाद: एक व्यवस्थित अध्ययन. टोरंटो: टोरंटो विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- सरकारिया आयोग (1988). केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- पुंछी आयोग (2010). केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- भारत सरकार (2005). राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की श्वेत पत्र रिपोर्ट. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2019). वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद (2025). 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशें. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2022). भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड. सिविल अपील संख्या 1390/2022, नई दिल्ली।